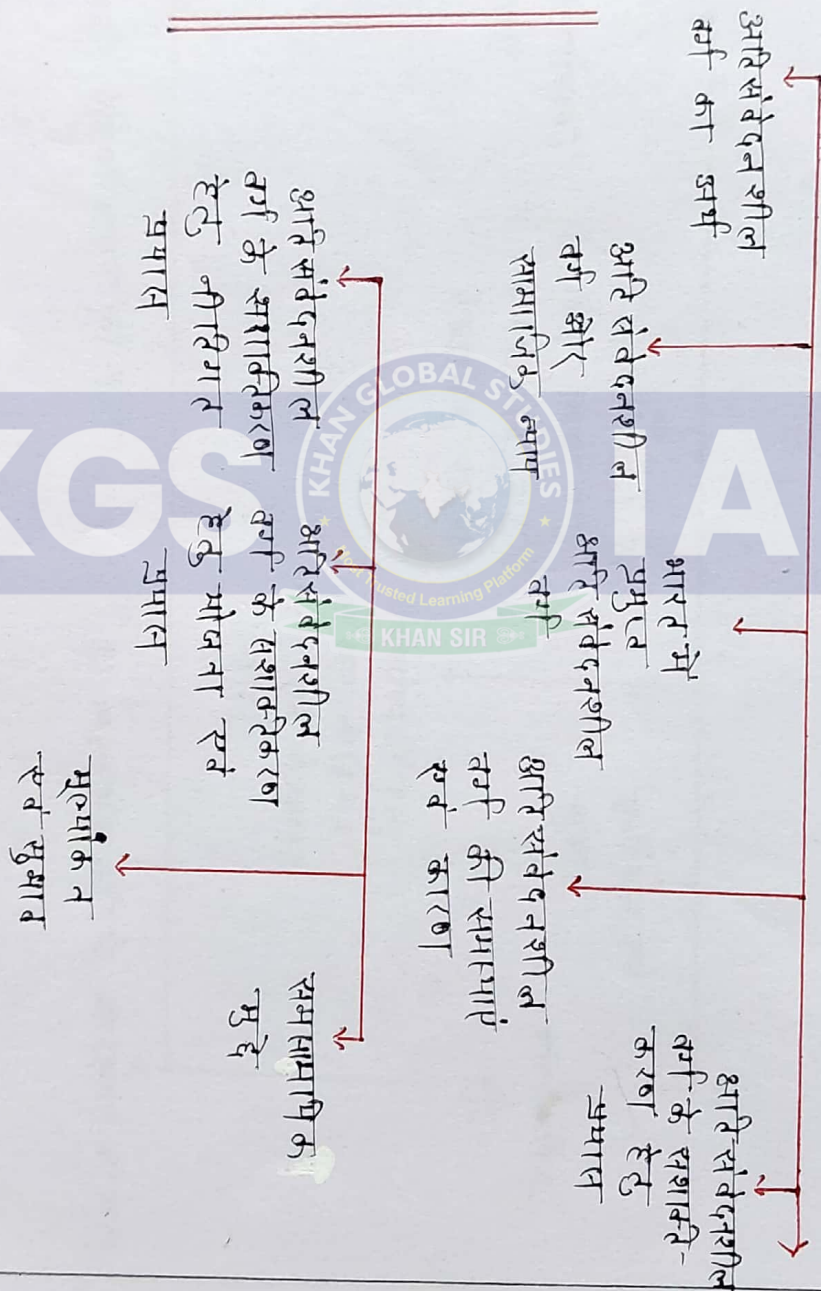
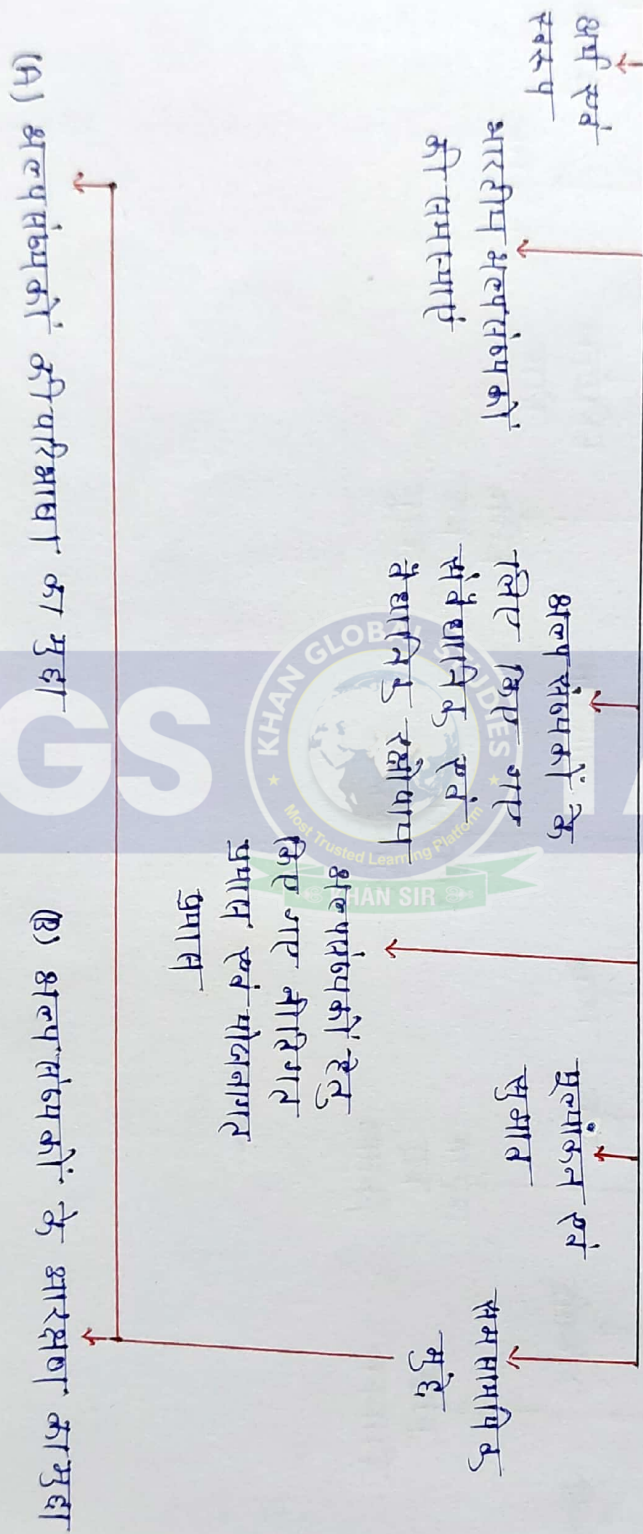


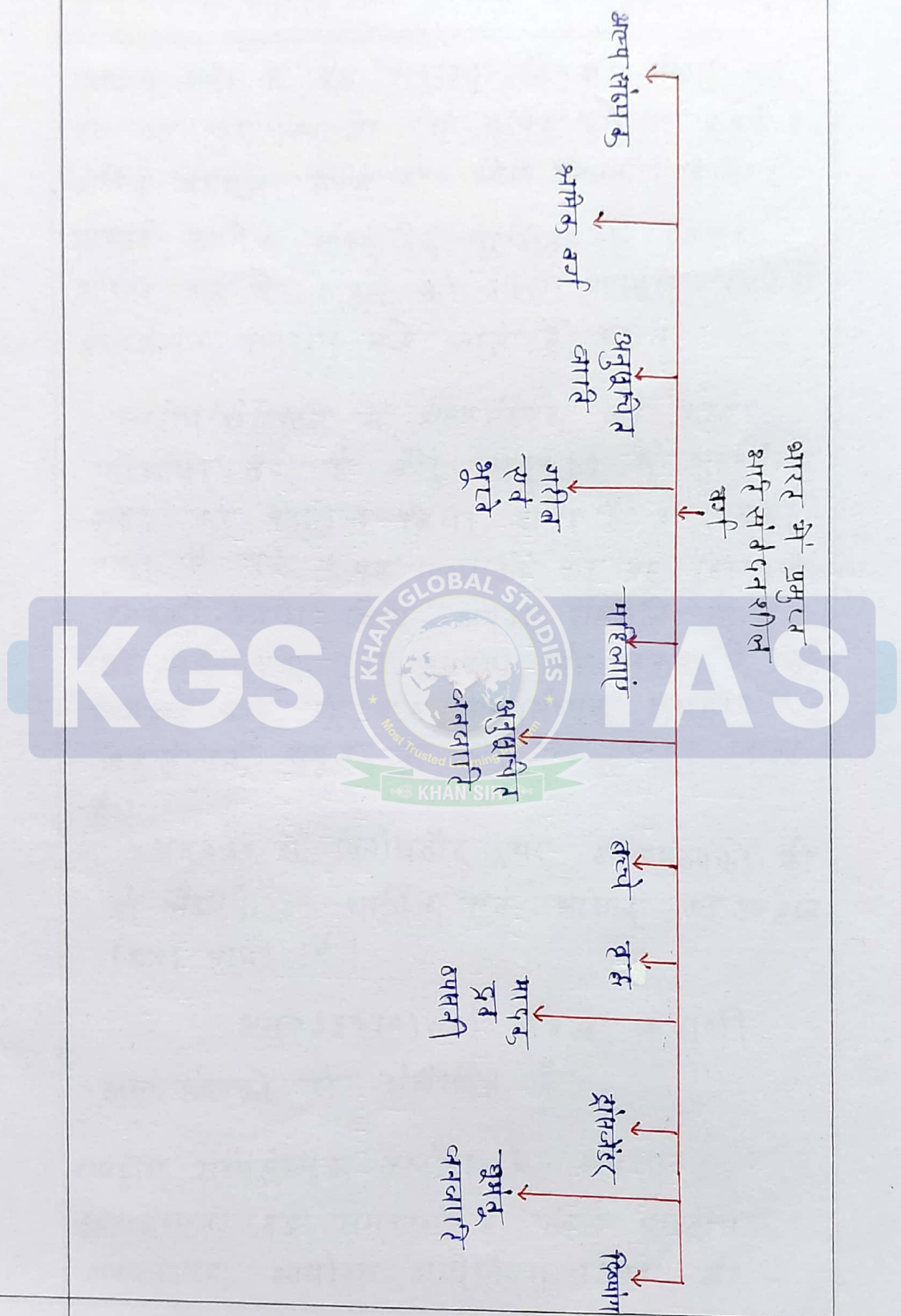
केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के आति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन; इन आति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहूरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय

अति संवेदनशील वर्ग



भारत में आति संबंदन शील तर्ग - अल्पसंख्यक





अल्पसंख्यक समुदाय की परिभाषा, अर्थ एवं स्वरूप :-

सामान्य अर्थों में वह समुदाय जिनकी संख्या कम हो, जो कुछ मामलों में वंचित हों, जो स्वयं को वंचित महसूस करते हों और जिनकी विशिष्ट भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान हो, जिसके आधार पर वे अपने को अलग महसूस करते हों, अल्पसंख्यक समुदाय कहे जाते हैं, परन्तु

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है और अनु० 29 में अल्पसंख्यक शब्द को शामिल किया गया है और कहा गया है कि "वह नागरिकों का वह हिस्सा है जिनकी भाषा लिपि अथवा संस्कृति भिन्न हो वह एक पूरा समुदाय हो सकता है जिसे सामान्य रूप से एक अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक समूह के रूप में देखा जाता है।"

अनु० 30 में विशेषतौर पर अल्पसंख्यकों की दो श्रेणियाँ - धार्मिक एवं भाषाई का उल्लेख किया गया है।

अनु० 350(A), (B) केवल भाषाधी अल्पसंख्यकों से संबंधित है

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार -
अल्पसंख्यक वह समुदाय है जिसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 की

धारा-2(c) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिद्विचिंत
किया गया है।



राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम
की धारा 2(c) के तहत प्रदत्त अधिकारों
का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा
23 अक्टूबर 1993 को एक अधिद्विचिंत
जारी की गई जिसमें 5 धार्मिक समुदाय-
मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी को
अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिद्विचिंत किया
गया और पुनः 27 जनवरी, 2014 को इसमें
जैन को द्दहे अल्पसंख्यक समुह के रूप में
शामिल किया गया।

अल्प संख्यक की परिभाषा संबंधी विवाद :-

1. अल्पसंख्यक की स्पष्ट परिभाषा दी जाए ?
2. अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा का आधार राज्य
ही या केन्द्र ?
3. क्या हिन्दू धर्म को कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक
समुदाय का दर्जा दिया जाना चाहिए ?

समीक्षा

निश्चित ही अल्पसंख्यक की परिभाषा की समस्या आज प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है, ऐसे में जरूरत है अल्पसंख्यक समुदाय की एक वस्तुनिष्ठ परिभाषा देने की, जो संविधान में निहित अनुदेशों के अनुरूप हो, इस हेतु यदि अल्पसंख्यक की परिभाषा का निर्धारण, राज्य स्तर पर किया जाये और इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषापी विशिष्टता के साथ-साथ, वंचितता के तत्वों को भी आवश्यक रूप से शामिल किया जाए तो तर्क संगत होगा।

KGS



IAS

भारतीय अल्पसंख्यकों की समस्या / आदि संप्रदायिता का स्वरूप :-

मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या :-

1. गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या
2. भाषिका एवं रुढ़िवादिता की समस्या
3. स्त्रियों की निम्नतर स्थिति का होना
4. भय एवं असुरक्षा की समस्या
5. सांप्रदायिकता एवं जात-माल की हानि
6. जनसंख्या वृद्धि की समस्या

इसार्थ अल्पसंख्यकों की समस्या :-

1. धर्मांतरित इसार्थों में गरीबी की समस्या ।
2. धर्मांतरित दलित इसार्थों में दूषादूत की समस्या ।
3. हिंदू कट्टरतावाद के उभार से, इसार्थों में भय एवं असुरक्षा की समस्या ।

अल्पसंख्यकों हेतु किये गए संवैधानिक एवं वैधानिक रक्षोपाय :-

(ii) सामान्य क्षेत्र एवं पृथक् क्षेत्र की संकल्पना
↓
पृथक् क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार

अनुच्छेद

विशेषताएँ

A 29(1)

अपनी विरिष्ट भाषा,
लिपि एवं संस्कारों को
सुरक्षित रखने का अधिकार

B 29(2)

धर्म/भाषा के आधार पर
किसी शैक्षिक संस्थान में
प्रवेश से रोके जाने पर
पाबंदी।

C 30(1)

अपना शैक्षणिक संस्थान रखने
एवं प्रबंधन का अधिकार।

D 30(2)

अल्पसंख्यकों के प्रबंधन वाले
शैक्षिक संस्थाओं को राज्य
से प्राप्त सहायता में भेदभाव
का निषेध

E 350

भाषापी अल्पसंख्यकों के लिए एक
विशेष अधिकारी की नियुक्ति का
अवधान

(iii) संविधान में बहुलक समाज की प्राथिकता को स्वीकार्यता भर्त्ता विविधता में एकता के भावपूर्ण को स्वीकारि।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय जिसका गठन 17 मई 1993 को पी. टी. नरसिम्हा राव सरकार के कार्य काल में हुआ।

उद्देश्य / कार्य :-

1. अल्पसंख्यकों की उन्नति तथा विकास का मूल्यांकन करना।
2. इनके संरक्षण से जुड़े कार्यों की निगरानी करना।
3. इनके संरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्लान बनाना।
4. इनसे संबंधित शिकायतों को देखना और उनसे जुड़े अधिकारियों के समक्ष रखना।
5. इनके विकास से जुड़े अध्ययन, अनुसंधान तथा विश्लेषण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

6. इनकी समस्याओं एवं कारणों के समाधान के उपायों की अनुसंधान करना आदि।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग : समीक्षा

निश्चित ही, यह आयोग अल्पसंख्यकों के विकास एवं रक्षोपाय में सहायक रहा है, परन्तु इनकी अनुसंधानों को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लागू करके ही, अल्पसंख्यकों के रक्षोपाय में इस आयोग को प्रासंगिक बनाया जा सकता है।



वक्फ प्रशासन एवं केन्द्रीय वक्फ परिषद

- मुस्लिमों या अल्पसंख्यकों की सार्वजनिक संपत्ति (वक्फ) की देखभाल या प्रशासन से संबंधित।
- 1964 में, भारत सरकार द्वारा, वक्फ अधिनियम 1954 द्वारा स्थापित।
- 1995 में वक्फ प्रशासन अधिनियम पारित और 2013 में संशोधन।
- इसके द्वारा वक्फ परिषद को अत्याधिक अधिकार प्रदान किये गए।
- इसके द्वारा एक केन्द्रीय वक्फ परिषद का गठन
- यह परिषद वक्फ के समुचित प्रशासन, विकास एवं प्रबंधन से जुड़े कार्यों का निष्पादन करती है।
- 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश - बिना किसी चर्चा के इसे JPC (संयुक्त संसदीय समिति) को भेजा गया।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग

किसी भी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने और उसे देश के किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम २००४ पारित करके इस आयोग का गठन किया गया।

(पुनः २००६ और २०१० में इसमें संशोधन किया गया) २०१० के संशोधन के बाद राज्य सरकारों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को आवेदन पत्र मिलने के ६० दिनों के भीतर NOC देना होगा, नहीं देने पर आयोग इदतद कर सकता है और जरूरत पड़ने पर स्वयं ही NOC प्रदान कर सकता है।

संवैधानिक एवं वैधानिक उपायों की समीक्षा एवं सुझाव :-

निश्चित रूप से उपरोक्त संवैधानिक एवं वैधानिक रक्षोपायों ने अल्पसंख्यकों के शक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है; जैसे... (उपलाब्धियों की चर्चा करें)

B. तावजूय इसके हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं और भारतीय अल्पसंख्यकों से, मुख्यतः मुस्लिमों से जुड़ी कई समस्याएँ आज भी बनी हुई हैं। (कमिषों एवं समस्याओं की चर्चा करें तथा सचर कमिटी की रिपोर्ट की चर्चा करें)

C. इस स्थिति के लिए मुख्यतः निम्न कारण उत्तरदायी रहे हैं—

1. संविधान एवं कानून की अस्पष्टता
2. जटिल लेट-लैटीफ एवं मंद्गी न्याय व्यवस्था
3. मुख्यतः मुस्लिमों में, शिक्षा एवं जागरूकता की कमी।
4. सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार
5. धर्म का राजनीतिकरण
6. कानून प्रवर्तन एजेंसियों में दृढ़ रुढ़शास्त्र के अभाव तथा भ्रष्टाचार

D. इसलिए उपरोक्त कमिषों एवं बाधाओं को दूर करके ही अल्पसंख्यकों को मिले-संबंधानिदु एवं वैधानिक रक्षायों को सार्थक बनाया जा सकता है।

(उपरोक्त कारणों के संदर्भ में सुझावों की चर्चा करें)